रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17022025-261088
CG-MH-E-17022025-261088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 फ़रवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007
के तहत अधिसूचना

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/231 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना जारी करके, किसी भी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों [जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 में परिभाषित किया गया है] से यह कह सकेगा कि वे जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के विनियम 7 के अनुसार, बोर्ड ने तारीख 24 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/26/540 जारी करके यह कहा था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के तहत अनुसंधान विश्लेषक के रूप में कार्य करने वाला या कार्य करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) की

तारीख 16 फरवरी, 2015 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XV: रिसर्च एनेलिस्ट/2015/01 में बताई गई "रा.प्र.बा.सं.-श्रृंखला-XV: अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का प्रमाणपत्र हासिल करेगा।

3. अब, बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के तहत एक एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर रजिस्टर अनुसंधान विश्लेषक, 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' का मुख्य अधिकारी, अनुसंधान विश्लेषकों के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति (इंडिविजुअल), अनुसंधान (रिसर्च) सेवाओं से जुड़े व्यक्ति, और यदि अनुसंधान विश्लेषक एक भागीदार फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो तो उसके भागीदार (पार्टनर) (जो अनुसंधान सेवाएँ देने में जुटे हुए हों):

(i) एन.आई.एस.एम. की तारीख 16 फरवरी, 2015 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XV: रिसर्च एनेलिस्ट/2015/01 में बताई गई "रा.प्र.बा.सं.-श्रृंखला-XV: अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का (के) प्रमाणपत्र हासिल करेगा (करेंगे)।

(ii) खंड (i) में बताए गए मौजूदा प्रमाणपत्र (प्रमाणीकरण / सर्टिफिकेशन) की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले ही, एन.आई.एस.एम. की तारीख 6 जनवरी, 2025 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/एनआईएसएम-सीरीज़-XV-बी: अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणीकरण (पुनरीक्षण) परीक्षा/2024/01 में बताई गई "रा.प्र.बा.सं.-श्रृंखला-XV-बी: अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणीकरण (पुनरीक्षण) परीक्षा" उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का प्रमाणपत्र हासिल करेगा (करेंगे), ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन सुनिश्चित होता रहे।

4. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2025 से लागू होगी।

5. तारीख 24 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/26/540 1 मार्च, 2025 से निरस्त हो जाएगी (किंतु उस अधिसूचना के निरस्त होने से पहले जो कुछ भी किया गया हो या न किया गया हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा)।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./981/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th February 2025

Notification under Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/231 - In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the CAPSM Regulations, 2007"), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the CAPSM Regulations, 2007 to obtain requisite certification(s).

2. In terms of Regulation 7 of Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as "the RA Regulations, 2014"), the Board vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/26/540, dated March 24, 2015 had *inter alia* notified that any person acting or desirous of acting as research analyst under the RA Regulations, 2014, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) by passing the "NISM-Series-XV: Research Analyst Certification Examination", as mentioned in the NISM communique No. NISM/Certification/Series-XV: Research Analyst/2015/01 dated February 16, 2015.

3. Now, in terms of Regulation 3 of the CAPSM Regulations, 2007 read with sub-regulation (3) of Regulation 7 of the RA Regulations, 2014, the Board hereby notifies, that an individual registered as research analyst under the RA Regulations, 2014, a principal officer of a non-individual research analyst, individuals employed as research analysts, persons associated with research services, and in case of the research analyst being a partnership firm, the partners thereof if any, who are engaged in providing research services:

(i) shall obtain certification(s) from NISM by passing the "NISM-Series-XV: Research Analyst Certification Examination", as mentioned in the NISM communique No. NISM/Certification/Series-XV: Research Analyst/2015/01 dated February 16, 2015.

(ii) shall, in order to ensure continuity in compliance with the certification requirements, before expiry of the validity of the existing certification as specified in clause (i), obtain certification from NISM by passing the NISM-Series-XV-B: Research Analyst Certification (Renewal) Examination as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/ NISM-Series-XV-B: Research Analyst Certification (Renewal) Examination/2024/01 dated January 06, 2025.

4. This notification shall come into force from March 1, 2025.

5. The Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/26/540, dated March 24, 2015, except for anything done or omitted to be done under the said notification, shall stand rescinded with effect from March 1, 2025.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./981/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.